



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

### SITTING NOTICE

फा.सं.: NCST/ATY-1829/UP/3/2024-APCR-RU-IV

दिनांक 20.11.2025

सेवा में,

श्री विक्रान्त वीर  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला -देवरिया  
पुलिस अधीक्षक कार्यालय  
कार्यालय साकेत नगर,  
देवरिया, उत्तर प्रदेश -274001  
Email Id: [spdoa-up@nic.in](mailto:spdoa-up@nic.in)

विषय: अनुसूचित जनजाति महिला के बच्चों को धारा 307 के केस में फंसाने की साजिश के संदर्भ में श्रीमती रेखा देवी, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन।

संदर्भ: NCST letter dated 04.11.2025

महोदय,

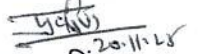
चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषक/जांच की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **02.12.2025 को 15: 30 Hrs** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8 के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय



(प्रवीण कुमार सिंह)  
अवर सचिव

E.mail ID: [rahul.1424@ncst.nic.in](mailto:rahul.1424@ncst.nic.in)

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्रीमती रेखा देवी,  
गांव हरइया, पोस्ट भटनी ददान  
पुलिस स्टेशनमहुआबिह-  
जिलादेवरिया -, उत्तर प्रदेश  
मो: नं. 7408065636

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)  
(iii) NIC for uploading